Regarding regulations to uphold consumer privacy in telecommunication

श्री कीर्ति आज़ाद (बर्धमान-दुर्गापुर) : सभापति जी, अध्यक्ष जी ने कहा था कि तीन मिनट में अपनी बात खत्म करनी है, इसलिए मैं अपनी बात तीन मिनट में समाप्त करूंगा ।

माननीय सभापति : धन्यवाद ।

श्री कीर्ति आज़ाद : सभापति जी, मैं जिस विषय को उठा रहा हूं, उससे पूरा सदन और संभवत: पूरा देश त्रस्त है ।

माननीय सभापति : इस विषय पर सवाल भी पूछा गया है ।

श्री कीर्ति आज़ाद : महोदय, हर रोज किसी भी समय टेलीफोन आते हैं जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, प्रोपर्टी डीलर्स, लोन्स, बैंक सर्विसेज के एम्प्लाइज द्वारा तकलीफ दी जाती है । यह और कोई नहीं कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर्स के डिस्ट्रिब्यूटर्स पैसा लेकर लोगों को व्यक्तिगत जानकारी बांट रहे हैं, जिसमें आपका नाम, आपका पता और अलग-अलग सेंसटिव इंफोर्मेशन देते हैं । वर्ष 2017 में एक जजमेंट जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी जी वर्सेस दि यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने कहा था -

?? A data controller shall not disclose personal information to third parties, except after providing notice and seeking informed consent from the individual for such disclosure. Third parties are bound to adhere to relevant and applicable privacy principles. Disclosure for law enforcement purposes must be in accordance with the laws in force. Data controllers shall not publish or in any other way make public personal information, including personal sensitive information.?.

HON. CHAIRPERSON : Please mention your demand.

? (*Interruptions*)

श्री कीर्ति आज़ाद : महोदय, मैं अपने बचे हुए डेढ़ मिनट के समय में अपनी बात समाप्त कर लूंगा ।

आप देखिए कि अलग-अलग जगह से हंटिंग नम्बर आते हैं । बैंगलुरु से 080 से कॉल आएगी, इंदौर से 0731 से कॉल आएगी, अहमदाबाद से 079 से कॉल आएगी, गुरुग्राम से 0129 से कॉल आएगी, नोएडा से 0120 से कॉल आएगी । जो लोग व्यक्तिगत रूप से फोन उठाते हैं, जैसे मैं फोन जरूर उठाता हूं क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र से लोग मुझे फोन करते हैं, मेरे क्रिकेटर्स दोस्त फोन करते हैं, मेरे दोस्त होते हैं या मेरे जानकार होते हैं । हम सभी को अपने घर के अंदर जाने के लिए दरवाजे से घंटी बजानी पड़ती है लेकिन कोई भी आदमी कभी भी आपका नाम लेकर उस सेंसटिव इंफोर्मेशन के साथ जो कि बेची गई है, उसे माध्यम से फोन करके आपको डिस्टर्ब कर सकता है । कई बार हम संसद के महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं, हम घर में महत्वपूर्ण पारिवारिक काम कर रहे हो सकते हैं, लेकिन ये लोग कभी भी हमें डिस्टर्ब कर देते हैं । यह बहुत गंभीर मामला है । उच्चतम न्यायालय का आदेश आ जाने के बाद मैं डू नॉट डिस्टर्ब में रजिस्टर्ड में हूं, फिर भी टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी आफ इंडिया एक टूथलेस टाइगर, बिना दांत और बिना नाखून का नरसिम्हा है ।

सभापति जी, मैं चाहूंगा कि ऐसी कम्पनियां जो बार-बार फोन करके मेरी निजता पर या देश में अन्य लोगों की निजता पर प्रहार कर रही हैं, उनके ऊपर तुरंत संज्ञान लेकर कोई कार्यवाही करनी चाहिए । ऐसी टेलीफोन कम्पनियों को तुरंत बंद करना चाहिए और जेल भेजना चाहिए ।